

R
316/14

41
24/5/16
24/5/16
24/5/16

2
6/7/2016



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

RBE No. 46/2016
Dated: 03.05.2016

New Delhi,

No. E(MPP)/2016/6/2

NER The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.130 (E) dated 25.01.2016, regarding revision of educational qualification of designated trades under Act.

A copy of the Notification No.G.S.R.130(E) dated 25th January, 2016 published in Part II, Section 3, Sub-section (I) of the Extraordinary Gazette of India issued by Shri Satish Kumar, ADT, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training regarding revision of educational qualification of designated trades under Act is enclosed for information, guidance and necessary action.

293

Please acknowledge receipt.

DA: As above

286

(Anuradha Singh)
Director (Trg. & MPP)
Railway Board

Dated: 03.05.2016

No. E(MPP)/2016/6/2

Copy forwarded for information:

Copy for information to:

- 1 Shri Satish Kumar, ADT, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training, 2nd Floor, Shivaji Stadium Annex, Shaheed Bhagat Singh Marg, New Delhi - 110001.

966
24/5/16
24/5/16

(Anuradha Singh)
Director (Trg. & MPP)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

3
67/2016

आरबीई सं. 46/2016

नई दिल्ली, दिनांक: 03.05.2016

सं. ई(एमपीपी)2016/6/2

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेल एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषय:- अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ट्रेडों की शैक्षिक अर्हता में संशोधन के बारे में राजपत्र
अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 130 (ई) को अद्योक्त करना।

अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ट्रेडों की शैक्षिक अर्हता में संशोधन के बारे में
श्री सतीश कुमार, एडीटी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय
द्वारा जारी भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशित
दिनांक 25 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 130 (ई) की प्रति सूचना, मार्गदर्शन
और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

कृपया पावती दें।

अनुराधा सिंह
03/5/16
(अनुराधा सिंह)

निदेशक (प्रशिक्षण एवं एमपीपी)
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक: यथोक्त

सं. ई(एमपीपी)2016/6/2

नई दिल्ली, दिनांक: 03.05.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. श्री सतीश कुमार, एडीटी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय,
दूसरी मंजिल, शिवाजी स्टेडियम एनेक्सी, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.

अनुराधा सिंह
03/5/16
(अनुराधा सिंह)

निदेशक (प्रशिक्षण एवं एमपीपी)
रेलवे बोर्ड.

4
6/7/2016

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

No. 73]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/MAGHA 9, 1937

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 130(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शिक्षुता परिषद् के साथ परामर्श से, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये 1 सितम्बर, 2015 को प्रवृत्त होंगे।
2. शिक्षुता नियम 1992 की अनुसूची-1 में-
 - (i) "होटल एवं कैटरिंग व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 15 में, क्रम संख्या 9 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
 - (ii) "कटिंग एवं टेलेरिंग व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 19 में, क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
 - (iii) "कृषि व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 20 में, क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

(iv) "कम्प्यूटर व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 29 में,

क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

ख) क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

"बहु कौशल व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 31 में, क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

(v) "आतिथ्य व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 36 में,

क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

ख) क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

(vi) "कार्यालय प्रबंधन व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 37 में,

क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

ख) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

(vii) "स्वास्थ्य सहायित व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 38 में,

क) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

ख) क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

(viii) "पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यापार समूह", से संबंधित समूह संख्या 39 में, क्रम संख्या 1 के स्थान पर स्तंभ 8 में प्रविष्टियों हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

[सं. एमएसडीई-2(5)/2015-एसी]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम मंत्रालय के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 1 अगस्त, 1992, में, सा.का.नि. संख्यांक 356, तारीख 15 जुलाई 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन सा.का.नि. संख्यांक 502 (अ) तारीख 16 जून 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2016

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the 1st day of September, 2015.
2. In Schedule-I to the Apprenticeship Rules, 1992:—
 - (i) in group number 15, relating to the "Hotel and Catering Trades Group", against serial number 9, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (ii) in group number 19, relating to the "Cutting and Tailoring Trades Group", against serial number 8, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (iii) in group number 20, relating to the "Agriculture Trades Group", against serial number 6, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (iv) in group number 29, relating to the "Computer Trades Group",—
 - a) against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - b) against serial number 4, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (v) in group number 31, relating to the "Multi Skill Trades Group", against serial number 8, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent";
 - (vi) in group number 36, relating to the "Hospitality Trades Group",—
 - a) against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - b) against serial number 5, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (vii) in group number 37, relating to the "Office Management Trades Group",—
 - a) against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - b) against serial number 2, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (viii) in group number 38, relating to the "Health Allied Trades Group",—
 - a) against serial number 2, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"Passed 10th class examination or its equivalent";

मिहिर

मिहिर

7
6/7/2016

4

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

- bi against serial number 3, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
(ix) in group number 39, relating to the "Library and Information Science Trades Group", against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent".

[No. MSDE-2(5)/2015-AP]
RAJESH AGRAWAL, Jr. Secy.

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, Sub-section (i), dated the 1st August, 1992 vide number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended vide number G.S.R. 502(15), dated the 16th June, 2015.